

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ 8488

दिनांक: 01.07.2025

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 30.04.2025 द्वारा श्रीमती सरोज अग्रवाल सदस्य वार्ड सं. 33 को सभापति नगर परिषद बूंदी के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सरोज अग्रवाल पार्षद वार्ड सं. 33 को सभापति नगर परिषद बूंदी के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/25/ 8489-8499 दिनांक: 01.07.2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलक्टर बूंदी।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
8. आयुक्त नगर परिषद बूंदी।
9. श्रीमती सरोज अग्रवाल पार्षद वार्ड सं. 33 नगर परिषद बूंदी।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.06.30 22:32:47 IST
Reason: Approved

